**संख्या-837/2017/2003/22-2-2017-17(62)/2012**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 24 अक्टूबर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुल्तान पुत्र श्री रविलाल निवासी जनपद-मैनपुरी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25389/पो0अनु0-(2)-182/सलाहकार समिति/(एम 22.06.2017, दिनांक 14.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुल्तान पुत्र श्री रविलाल जो मधुपुरी, थाना-औंछा, जनपद-मैनपुरी का रहने वाला है। मृतक जय दयाल पुलिस इन्फार्मर था, जब कभी काशी और उसके साथी गांव में ठहरते थे, तब वो पुलिस को सूचना देता था। इसी रंजिश के कारण बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 15-10-1977 को अपरान्ह लगभग 01:00 बजे रायफल, बन्दूक एवं कारवाईन से गोली मारकर जय दयाल की हत्या कर दी। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-213/78 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के आदेश दिनांक 16.05.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.1998 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.02.2017 तक 20 वर्ष 01 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 08 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, बन्दूक एवं कारवाईन से गोली मारकर जय दयाल की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवा जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा किय गये विरोध तथा मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुल्तान पुत्र श्री रविलाल को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अत: उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुल्तान (बन्दी संख्या-13035) पुत्र श्री रविलाल निवासी जनपद-मैनपुरी की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

**संख्या-837/2017/2003/(1)/22-2-2017 तद्‌दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।